

अध्याय सारांश

आय कर 2005-06 में प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहण का 33.9 प्रतिशत था। 31 मार्च 2006 को 2.94 करोड़ निर्धारिती थे जो विगत वर्षों की तुलना में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि की दौतक थी। (पैरा 4.1 और 4.2)

लेखापरीक्षा ने 54.17 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव वाली 182 अभ्युक्तियाँ वित्त मंत्रालय को जारी की जिसमें विभिन्न अनियमितताएं, चूंके एवं गलतियाँ अन्तर्ग्रस्त हैं। मंत्रालय ने 65 अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें इस प्रतिवेदन के तैयार करने तक 18.77 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 4.4 और 4.7)

निर्धारण अधिकारियों ने निम्नलिखित मामलों में गलतियाँ की थीं:

◆ 15 मामलों में सही आँकड़ों के अपनाने, कर की सही दर को लागू करने और अधिभार के उद्ग्रहण में 1.56 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

(पैरा 4.9, 4.10.1 और 4.11.1)

◆ 23 मामलों में कारबार आय की संगणना और देयता की अनुमति में 5.98 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

(पैरा 4.12.1 और 4.13.5)

◆ 25 मामलों में मूल्यहास की संगणना, पूँजीगत अभिलाभ, हानियों का अग्रेनयन एवं समंजन और निर्धारण से छूट गई आय को अनुमत करने में 3.10 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

(पैरा 4.14.1, 4.15.1, 4.16.2 और 4.17.2)

◆ 14 मामलों में अध्याय VI ए के अन्तर्गत निर्यात लाभ के संबंध में कटौती की अनुमति करने में 3.54 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

(पैरा 4.18.1)

◆ दो मामलों में उन पर प्रतिदाय और ब्याज के अनुमत करने में 64.91 लाख रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

(पैरा 4.19.1)

◆ 33 मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में 10.30 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

(पैरा 4.20.1)

◆ सात मामलों में कर के अतिप्रभार में 3.32 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

(पैरा 4.21)

◆ 20.39 लाख रुपये के राजस्व प्रभाव वाले दो मामलों में शास्ति का उद्ग्रहण

(पैरा 4.22.1)

◆ 52 मामलों में सार में आय के अवनिर्धारण में 21.59 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

(पैरा 4.23.1)

अध्याय IV: आय कर

निर्धारितियों की संख्या आय कर से प्राप्तियाँ निर्धारण का प्रस्थिति लेखापरीक्षा के परिणाम वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुए उत्तरों की प्रस्थिति	<p>4.1 2005 और 2006 की 31 मार्च को आय कर विभाग के खातों में दिखाये गये निर्धारितियों की संख्या (कम्पनियों के अलावा) क्रमशः 2.68 करोड़ और 2.94 करोड़ थी जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय II की तालिका 2.7 में दिया गया है।</p> <p>4.2 2005-06 के दौरान आय कर प्राप्तियाँ 2004-05 में 49,268 करोड़ रुपये की तुलना में 55,985 करोड़ रुपये थीं जो प्रत्यक्षकर संग्रहण का 33.89 प्रतिशत बनती हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय II की तालिका 2.4 में व्यौरा दिया गया है।</p> <p>4.3 इस प्रतिवेदन के अध्याय II की तालिका 2.11 में निपटान के लिए नियत निर्धारणों के व्यौरे पूरे किये गये और लम्बित निर्धारण दिये गये हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान असंग्रहीत रही माँगों के व्यौरे इस प्रतिवेदन के अध्याय II की तालिका 2.13 में दिये गये हैं।</p> <p>4.4 लेखापरीक्षा ने टिप्पणियों के लिए वित्त मंत्रालय को मई 2006 और अक्टूबर 2006 के मध्य 175 ड्राफ्ट पैराग्राफ जिसमें 50.85 करोड़ रुपये का अवप्रभार अन्तर्गत था और सात ड्राफ्ट पैराग्राफ जिसमें 3.32 करोड़ रुपये का अतिप्रभार अन्तर्गत था को आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है। विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने 11 मामलों का अवलोकन किया लेकिन गलतियों का पता नहीं लगाया जा सका।</p> <p>4.5 इनमें से 182 ड्राफ्ट पैराग्राफों को मंत्रालय को जारी किया गया, 167 मामले जिसमें 46.95 करोड़ रुपये का अवप्रभार अन्तर्गत था और सात मामले जिसमें 3.32 करोड़ रुपये का अतिप्रभार अन्तर्गत था को आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है। विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने 11 मामलों का अवलोकन किया लेकिन गलतियों का पता नहीं लगाया जा सका।</p> <p>4.6 एक करोड़ रुपये से अधिक धन मूल्य वाले नौ मामले पैराग्राफों में सोदाहरण दिये गये हैं। 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन एक करोड़ से कम धनमूल्य वाले 26 मामलों को तालिका में दिखाया गया है और 97 मामलों में पाँच लाख रुपये और 25 लाख रुपये के मध्य वाले मामलों को परिशिष्ट 17 में दिया गया है।</p> <p>4.7 इस अध्याय में शामिल किये गये 174 मामलों में से वित्त मंत्रालय ने 65 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की हैं जिसमें 18.77 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था। 36 मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार नहीं की हैं। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। मंत्रालय के उत्तर की जांच की गई और जहां आवश्यक था उपयुक्त रूप से समावेशित किया गया।</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सही आँकड़ों
के अपनाने
में गलतियाँ

4.8 निर्धारण अधिकारियों को संवीक्षा निर्धारणों में सही रूप से आय का अवधारण और निर्धारण करना है। लेखाओं, दावों, अभिलेखों और सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में जाँच की जानी है। बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारियों और उनके पर्यवेक्षक अधिकारियों को अनुदेश जारी किये कि निर्धारणों में गलतियाँ न हों।

4.9 लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने गलत आँकड़ों को अपनाया, कुल आय की संगणना में और परिकलन में गलतियाँ की जिसके परिणामस्वरूप बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाँच मामलों में कुल 62.78 लाख रुपये के कर का क्रम उद्ग्रहण हुआ। चार मामले जिसमें प्रत्येक में पाँच लाख रुपये से अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 1 से 4 पर दर्शाया गया है। एक मामला जिसमें 25 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को नीचे तालिका 4.1 में दिखाया गया है:

(लाख रुपये में)

तालिका 4.1 सही आँकड़ों के अपनाने में गलतियाँ

क्र.सं	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभाव	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1	श्री मुकेश अग्रवाल इंदौर - I	1 अप्रैल 1996 से 13 नवम्बर 2002	ब्लॉक निर्धारण	निर्धारण अधिकार ने गलत आँकड़ों को अपनाया या निर्धारण आदेश में प्रस्तावित परिवर्धनों को छोड़ा	31.60

कर की
गलत दर
का लागू
करना

4.9.1 मंत्रालय ने उपर्युक्त मामले में अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।

4.10 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि आय कर सुसंगत वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार निर्धारिति को विगत वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है।

4.10.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब में छः मामलों में सही रूप से उपर्युक्त प्रावधान को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 67.48 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। तीन मामले जिसमें प्रत्येक में पाँच लाख रुपये से अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 5 से 7 पर दर्शाया गया है। एक मामला

जिसमें 25 लाख रूपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

(लाख रूपये में)

तालिका 4.2 कर की सही दर के लागू करने में गलतियाँ

क्र.सं	निर्धारिती का नाम/आका प्रभाव	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1	मैसर्स चिरोन बैहरिंग ग्रन्ड कं. डी आई टी (आई टी) मुम्बई	2002-03	संवीक्षा	रायलटी आय पर कर धारा 115 ए के अन्तर्गत 20 प्रतिशत की लागू दर के प्रति 10 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत किया गया था	31.86

4.10.2 मंत्रालय ने उपर्युक्त मामले में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

अधिभार का अनुद्ग्रहण

4.11 अधिभार सहित आय कर सुसंगत वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर प्रभारित होता है।

4.11.1 निर्धारण अधिकारियों ने वित्त अधिनियम में निर्धारित दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चार मामलों में 25.55 लाख रूपये की कम माँग हुई। तीन मामले जिनमें प्रत्येक में पाँच लाख रूपये से अधिक लेकिन 25 लाख रूपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 8 से 10 पर दर्शाया गया है।

देयताओं की गलत अनुमति

4.12 एक निर्धारिती द्वारा नियोक्ता के रूप में किसी भविष्य निधि, अधिवार्षिता निधि या उपदान निधि आदि को अंशदान के रूप में देय कर्तिपय कटौतियों जैसे उपस्कर, फीस या कोई अन्य राशि वास्तविक भुगतान के आधार पर कटौती योग्य है। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि विवरणी के दाखिल करने की नियत तारीख के पहले भुगतान किया गया है, मात्र तब ही ऐसा व्यय अनुज्ञेय होगा।

4.12.1 निर्धारण अधिकारियों ने विवरणी के दाखिल करने की नियत तारीख के पहले नियत तारीख या किये जाने वाले भुगतानों तक वास्तविक भुगतानों के बिना देयताओं को अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में छः मामलों में 3.04 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। तीन मामले जिनमें प्रत्येक में पाँच लाख रूपये से अधिक लेकिन 25 लाख रूपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 11 से 13 पर दिखाया गया है। एक करोड़

रूपये से अधिक के राजस्व प्रभाव से अन्तर्गत एक मामले को नीचे सोदाहरण दिया गया है:-

4.12.2 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी I प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1999-00 के लिए मैसर्स घोदगंगा सहकारी सकहर कारखाना लिमिटेड, व्यक्तियों के संगम का निर्धारण मार्च 2001 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने आय कर अधिनियम की धारा 43 बी के अन्तर्गत मिआदी कर्ज पर देय ब्याज के कारण 4.55 करोड़ रूपये कटौती की अनुमति दी। तथापि, अनुमत कटौती सही नहीं थी चूंकि निर्धारिती ने बकाया ब्याज को मिआदी कर्ज में परिवर्तित किया और किसी वास्तविक भुगतान का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए, अनुमत गलत कटौती के परिणामस्वरूप 4.55 करोड़ रूपये की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित 1.87 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत था।

4.12.3 25 लाख रूपये के राजस्व प्रभाव से अधिक और 1 करोड़ रूपये से कम, एक मामले को नीचे तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

(लाख रूपये में)

तालिका 4.3 देयता की गलत अनुमति

क्र.सं	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स भीमा सहकारी सकहर कारखाना लिमिटेड पुणे सिटी -I	2000-01	संवीक्षा	1.30 करोड़ रूपये के भविष्य निधि अंशदान का भुगतान नियत तारीखों पर नहीं किया गया था	74.05

4.13 कारबार आय की संगणना में गलतियाँ

कारबार आय की संगणना में गलतियाँ

4.13.1 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि संवीक्षा निर्धारण में निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना अपेक्षित है और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय या उसको प्रतिदाय योग्य सही राशि का अवधारण करना अपेक्षित है। "कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों" के शीर्ष के अन्तर्गत आय की संगणना निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से लागू लेखाकरण विधि के अनुसार की जाती है।

4.13.2 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि जहाँ एक निर्धारिती की सकल कुल आय में 31 मार्च 1991 के पश्चात् स्थापित एक औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों को शामिल किया जाता है, वहाँ निर्धारिती उपक्रम से व्युत्पन्न ऐसे लाभों और अभिलाभों का 30 प्रतिशत की कटौती के लिए

हकदार है। न्यायिक रूप से यह निर्णय² दिया गया कि शब्द "व्युत्पन्न से" के लागू करने के लिए लाभों और अभिलाभों एवं निर्यातोन्मुख औद्योगिक उपक्रम के मध्य सीधा संबंध होना चाहिए। शब्द "व्युत्पन्न से" कारबार या उपक्रम के किये जाने से सीधे उपचित होने वाले मात्र लाभों और अभिलाभों को कवर करने हेतु विधानमंडल द्वारा दिये गये प्रतिबन्धित अर्थ को दर्शाता है।

4.13.3 एक निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय अधिनियम की धारा 80 जी, के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को किये गये दानों के संबंध में कटौती अनुमत की जायेगी।

4.13.4 "लाभांश स्ट्रिपिंग संव्यवहार" जिसमें शेयरों/यूनिटों की खरीदारी "लाभांश सहित" की जाती है और जिन्हें कारबार या व्यापार संव्यवहार से अलग, कर परिहार युक्ति से होने वाले लाभांश को प्राप्त करने के पश्चात् हानि पर बेचा जाता है। न्यायिक रूप से यह निर्णय लिया² गया कि बकाया लाभांश वाले शेयरों की खरीद पूँजीगत खरीद थी और प्रतिभूतियों की अर्जन लागत को लाभांश राशि द्वारा कम किया जाना अपेक्षित था। न्यायिक रूप से यह कम किया जाना अपेक्षित था। न्यायिक रूप से यह निर्णय लिया³ गया कि "लाभांश स्ट्रिपिंग संव्यवहार" से उद्भूत हानि कारबार आय के प्रति समायोजन के लिए योग्य नहीं थी। आय कर अधिनियम को बाद में निर्धारण वर्ष 2002-03 से धारा 94 (7) के समावेशन द्वारा संशोधित किया गया जो बताता है कि खरीद के उद्भूत होने और प्रतिभूतियों/यूनिटों की विक्री से हानि की लाभांश/आय की सीमा तक अवहेलना की जायेगी।

4.13.5 कारबार आय की संगणना करते समय उपर्युक्त प्रावधानों का अननुपालन करने के परिणामस्वरूप गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 17 मामलों में कुल 2.94 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। 11 मामले जिनमें प्रत्येक में पाँच लाख रुपये से अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 14 से 24 पर दर्शाया गया है। तीन मामले जिनमें 25 लाख रुपये या उससे अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को नीचे तालिका 4.4 में दिखाया गया है।

² केम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई इन्डस्ट्रीयल कम्पनी लिमिटेड बनाम आ क आ गुजरात-। 113- आई टी आर-84 (एस सी) और स्टर्किंग फूड्स बनाम आ क आ 237 आई टी आर 579 (एस सी)

² 75-आई टी आर-191 आ क आ बनाम इण्डिया डिस्काउन्ट कम्पनी (एस सी) (1969)

³ 75-आई टी आर-544 ल्यूप्टोन (कर निरीक्षक) बनाम एफ ए एण्ड ए बी लिमिटेड (अपील के न्यायालय में) (1969)

(लाख रुपये में)

तालिका 4.4 कारबार आय की संगणना में गलतियाँ

क्र.सं	निर्धारिती का नाम/आ के आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1	श्री रमेश चन्द्र एस पटेल अहमदाबाद III	1999-2000 2000-01	संवीक्षा	धारा 80 आई ए के अन्तर्गत कटौती का परिमाणन करते समय औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न न होने वाली शुल्क फिरती से 5.19 करोड़ रुपये की आय को कम नहीं किया गया था।	65.18
2	एच पी स्टेट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला	1999-2000	संवीक्षा	आय कर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत अस्वीकार्य कटौती की गलत अनुमति	49.56 (व्याज सहित)
3	श्रीमती सुचीता बी वियानी मुम्बई सेन्ट्रल II	2000-01	संवीक्षा	निर्धारिती द्वारा वहन की गई 66.39 लाख रुपये की हानि को अल्प पूँजीगत हानि के प्रति अनियमित रूप से समायोजित किया गया था।	29.25

4.13.6 मंत्रालय ने उपर्युक्त तालिका 4.4 के क्रम संख्या 2 पर मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।

मूल्यहास की गलत अनुमति

4.14 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि एक निर्धारिती की कारबार आय की संगणना में स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास के कारण कटौती निर्धारित दरों पर और अवलेखित मूल्य पर स्वीकार्य है।

4.14.1 निर्धारण अधिकारी ने मूल्यहास की अनुमति में गलतियाँ की जिसके परिणामस्वरूप गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में आठ मामलों में कुल 46.30 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। चार मामले जिसमें प्रत्येक में पाँच लाख रुपये से अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 25 से 28 पर दर्शाया गया है।

4.15 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता कि पिछले वर्ष में कारगर पूँजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ शीष "पूँजीगत

पूँजीगत अभिलाभों की गलत संगणना

"अभिलाभों" के अन्तर्गत कर को प्रभार्य है और पिछले वर्ष जिसमें अन्तरण किया गया, की होने वाली आय माना जायेगा। ऐसे पूँजीगत अभिलाभ पर कर निर्धारित दर पर प्रभार्य है।

4.15.1 लेखापरीक्षा ने पूँजीगत अभिलाभ की संगणना में गलतियाँ सूचित की जिसके परिणामस्वरूप बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में चार मामलों में 30.34 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। तीन मामले जिसमें प्रत्येक में पाँच लाख रुपये से अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 29 से 31 पर दर्शाया गया है।

निर्धारण
से छूट
गई
आय

4.16 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि आय कर प्रत्येक व्यक्ति के पिछले वर्ष की कुल आय के सम्बन्ध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभारित किया जायेगा। शब्द "आय" अधिनियम के अन्तर्गत समाविष्ट परिभाषा है और जिसमें पूँजीगत अभिलाभ, उल्लेख न किया गया निवेश आदि शामिल हैं।

4.16.1 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि उपचित या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में किये गये प्रावधान स्वीकार्य कठौती है जबकि अन्य प्रावधान कठौती के लिए योग्य नहीं थे।

4.16.2 लेखापरीक्षा ने बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में आठ मामलों में कुल 1.65 करोड़ रुपये के कर का कम उद्ग्रहण सूचित किया चूँकि निर्धारण अधिकारियों ने कर के लिए सभी आय का निर्धारण नहीं किया था। पाँच मामले जिसमें प्रत्येक में पाँच लाख रुपये अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 32 से 36 पर दर्शाया गया है। एक मामला जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को सोदाहरण नीचे दिया गया है।

4.16.3 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी XIV प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक फर्म मैसर्स मंगल एक्सपोर्ट का निर्धारण मार्च 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2.17 करोड़ रुपये के कराधान के लिए प्रावधान को कर योग्य आय को निकालते समय अस्वीकार नहीं किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप 2.17 करोड़ रुपये की आय निर्धारण से छूट गई जिसमें धारा 234 वी के अन्तर्गत ब्याज सहित 1.09 करोड़ रुपये का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत है।

4.16.4 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

हानियों
का गलत
अग्रेनयन
और
समंजन

4.17 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि जहां शीर्ष "कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों" के अंतर्गत संगणना के निवल परिणाम निर्धारिती के लिए हानि है और मूल्यहास सहित ऐसी हानि का सुसंगत वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के

अन्तर्गत आय के प्रति पूर्ण रूप से समंजन नहीं किया जा सकता, वहाँ ऐसी हानि जिसका समंजन नहीं किया गया को "कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों" के प्रति समंजन करने के लिए आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों को अग्रेनीत किया जायेगा।

4.17.1 शीर्ष "कारबार आय" के अन्तर्गत किसी हानि का भावी वर्षों की कारबार आय के प्रति अग्रेनयन और समंजन नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी हानि की विवरणी को नियत तारीख से या उससे पहले दायर नहीं किया गया।

4.17.2 लेखापरीक्षा ने गुजरात और महाराष्ट्र में पाँच मामलों में कुल 68 लाख रूपये के कर का कम उद्ग्रहण सूचित किया चूंकि निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों को सही रूप से लागू नहीं किया। तीन मामले जिसमें पाँच लाख रूपये से अधिक और 25 लाख रूपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 37 से 39 पर दर्शाया गया है। एक मामला जिसमें 25 लाख रूपये या उससे अधिक लेकिन एक करोड़ रूपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को नीचे तालिका 4.5 में दिखाया गया है।

(लाख रूपये में)

तालिका 4.5 हानि का गलत अग्रेनयन और समंजन

क्र.सं	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1	मैसर्स वर्धा जिला सहकारी कृषि ग्रामीण मल्टीप्रैज डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड नागपुर सिटी ॥	2002-03	संवीक्षा	विवरणी के विलम्ब से दाखिल करने के कारण 95.42 लाख रूपये की हानि का अनियमित अग्रेनयन	28.18 (पी)

(पी संभाव्य को प्रदर्शित करता है)

4.17.3 मंत्रालय ने उपर्युक्त मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।

निर्यात लाभों के संबंध में कटौती की गलत अनुमति

4.18 निर्यात लाभों के संबंध में कटौती की अनुमति की पद्धति का वर्णन इस प्रतिवेदन के अध्याय III के 3.21 में किया गया है।

4.18.1 लेखापरीक्षा ने निर्यात लाभों की संगणना में गलतियाँ सूचित की जिसके परिणामस्वरूप गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 14 मामलों में कुल 3.54 करोड़ रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। पाँच मामले जिसमें पाँच लाख रूपये से अधिक और 25 लाख रूपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 40 से 44 पर दर्शाया गया है। पाँच मामले जिसमें 25 लाख

रूपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को नीचे तालिका 4.6 में दिखाया गया है।

(लाख रूपये में)

तालिका 4.6 निर्यात लाभों के संबंध में कटौती की गलत अनुमति

क्र.सं	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1	मैसर्स कपूर इन्डस्ट्रीज मुम्बई, सिटी XII	1991-92*	संवीक्षा	निर्यात लाभों जिसके लिए निर्धारिती पात्र नहीं था के प्रति 32.92 लाख रूपये की कटौती की गलत अनुमति	88.76 (व्याज सहित)
2	मैसर्स हीरो एक्सपोर्ट लुधियाना सैन्ट्रल लुधियाना	2000-01	संवीक्षा	3.29 लाख रूपये के खर्चों को निर्यात लाभ की कटौती का परिकलन करने के लिए विचार न करते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया।	50.61
3	मैसर्स टब्बो इम्पेक्स आ क आ III लुधियाना	2001-02	संवीक्षा	सीमाशुल्क स्टेशन से अलग भाड़ा, बीमा आदि के कारण 95.36 लाख रूपये की राशि की कटौती प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों से की गई जिसके परिणामस्वरूप 76.29 लाख रूपये की अधिक कटौती हुई	42.69
4	मैसर्स मैट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी मुम्बई सिटी XVIII	2001-02	संवीक्षा	निर्यात कारबार से हानि की कटौती के लिए उपयुक्त लाभ निकालने के लिए विचार नहीं किया गया था।	41.58
5	श्री कान्ति लाल ईश्वर लाल अहमदाबाद	2001-02	संवीक्षा	लाभ को अनियमित रूप से निर्यात लाभों के प्रति कटौती के प्रयोजन के लिए डी ई पी बी लाइसेंस के कारण 1.04 करोड़ रूपये की प्रीमियम प्राप्ति को 90 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था।	35.37

अनियमित
प्रतिदाय

4.19 आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि जहाँ अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण, अपील, संशोधन अथवा कोई अन्य कार्यवाहियों में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप निर्धारिती को किसी राशि का प्रतिदाय देय होने पर निर्धारण अधिकारी

* मूल रूप से जनवरी 1992 में निर्धारण किया गया और बाद में जनवरी 2003 में अधिकरण आदेशों के अनुसरण में संशोधित किया गया।

किसी निर्धारण वर्ष हेतु निर्धारिती के बकाया देयों के प्रति प्रतिदाय की मंजूरी अथवा समायोजन अथवा प्रतिदाय का समंजन कर सकता है।

4.19.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दो मामलों में अधिक प्रतिदाय अनुमत किया था जिसमें 64.91 लाख रूपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है जिसे नीचे तालिका 4.7 में दिखाया गया है।

(लाख रूपये में)

तालिका 4.7 अनियमित प्रतिदाय

क्र. सं	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1	मैसर्स एस आर बाटली बाय कोलकाता XIV	1998-99	संवीक्षा	निर्धारिती को पहले दिये गये प्रतिदाय पर विचार करने में चूक	34.94
2	मैसर्स एम पी टैक्सट बुक कारपोरेशन भोपाल	1999-2000	संवीक्षा	अपील को प्रभाव देते हुए निर्धारिती को पहले किये गये प्रतिदाय पर विचार करने में चूक	29.97

ब्याज का अनुद्ग्रहण/ कम उद्ग्रहण

4.20 आय की विवरणी दाखिल करने में, अग्रिम कर का भुगतान करने में विलम्ब और माँग के भुगतान में चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण के संबंध में प्रावधानों का वर्णन इस प्रतिवेदन के अध्याय III के पैरा 3.26 में किया गया है।

4.20.1 लेखापरीक्षा ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 33 मामलों में कुल 10.30 करोड़ रूपये की आय की विवरणी दाखिल करने में, अग्रिम कर का भुगतान करने में विलम्ब और माँग के भुगतान में चूक के लिए ब्याज के कम उद्ग्रहण की सूचना दी। 18 मामले जिसमें प्रत्येक में पाँच लाख रूपये से अधिक लेकिन 25 लाख रूपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 45 से 62 पर दर्शाया गया है। दो मामले जिसमें एक करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को सोदाहरण नीचे दिया गया है।

4.20.2 महाराष्ट्र ठाणे सिटी IV प्रभार में निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए एक व्यष्टि श्री वाल्जी काँजी ठक्कर का ब्लॉक निर्धारण अगस्त 2001 में पूरा हुआ था और धारा 156 के अन्तर्गत नोटिस 8.39 करोड़ रूपये की माँग के लिए उसी तारीख पर निर्धारिती को भेजा गया था। तदनन्तर, निर्धारण आदेश को 0.54 लाख रूपये के स्वयम्-निर्धारित कर के भुगतान का समायोजन करते हुए और 8.38 करोड़ रूपये की शेष राशि के लिए

माँग उद्भूत करते हुए जून 2003 में धारा 154 के अन्तर्गत परिशोधित किया गया। नोटिस उसी तारीख पर निर्धारिती को भेजा गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अगस्त 2001 में भेजे गये नोटिस के अनुसार उद्भूत माँग के भुगतान न करने के लिए ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप 2.20 करोड़ रुपये के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

4.20.3 मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।

4.20.4 पश्चिम बंगाल, कोलकाता आ क आ- XI प्रभार में निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए एक व्यष्टि श्री सुशील कुमार कायन का निर्धारण 0.80 लाख रुपये की आय का अवधारण करते हुए जुलाई 1987 में संक्षिप्त रीति में प्रक्रियागत किया गया जिसका बाद में 75.51 लाख रुपये की कुल आय पर मार्च 2005 में सर्वोत्तम निर्णय आधार पर निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अगस्त 1987 से मार्च 2005 तक आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्राह्य ब्याज 212 माह के लिए विभाग द्वारा उद्ग्रहीत 11.56 लाख रुपये के बजाए 1.34 करोड़ रुपये था। गलती के परिणामस्वरूप 1.22 करोड़ रुपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.20.5 मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

4.20.6 सात मामले जिसमें प्रत्येक में 25 लाख रुपये से अधिक लेफिन एक करोड़ रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को नीचे तालिका 4.8 में दिखाया गया है:

(लाख रुपये में)

तालिका 4.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

क्र.सं	निर्धारिती का नाम/आ क आ प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1	श्री नीरज गुप्ता दिल्ली सैन्ट्रल ॥	1 अप्रैल 1990 से 18 जनवरी 2001	ब्लॉक	निर्दिष्ट अवधि के अन्दर माँग के भुगतान में चूक के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण	97.46
2	श्री अब्दुल करीम लाडसाब तेली बैंगलोर सैन्ट्रल	1997-98 2001-02	संवीक्षा	98.73 लाख रुपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण, 10.53 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण और 16 लाख रुपये के अधिभार का गलत उद्ग्रहण उद्ग्राह्य नहीं था	93.26
3	मैसर्स डी के एन्टरप्राइजेज मुम्बई सैन्ट्रल ॥	1998-99	संवीक्षा	अग्रिम कर और बकाया माँग के भुगतान में चूक के कारण ब्याज का कम	86.95

				उद्ग्रहण	
4	एच पी स्टेट कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला	1997-98	संवीक्षा	अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज का कम उद्ग्रहण	80.00
5	श्री पी एल नरसिंहमन कोलकाता सैन्डल ।	1986-87 से 27 अगस्त 1996	ब्लॉक	निर्दिष्ट अवधि के अन्दर ¹ बकाया माँग के भुगतान में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने से चूक	71.95
6	श्री नानजी के ठाकुर थाने सिटी IV	2000-01	संवीक्षा	निर्दिष्ट अवधि के अन्दर ¹ बकाया माँग के भुगतान में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने से चूक	54.33
7	श्री सुशील कुमार सिन्हा पटना सैन्डल	1994-95	संवीक्षा	विवरणी के प्रस्तुत करने से विलम्ब के लिए धारा 234 ए के अधीन ब्याज का अनुद्ग्रहण	32.03

4.20.7 मंत्रालय ने उपर्युक्त तालिका 4.8 के क्रम संख्या 1,2,3 और 6 पर मामले में
लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।

अधिक
निर्धारण/
अति प्रभार
के मामले

4.21 लेखापरीक्षा ने निर्धारण अधिकारियों की ओर से लापरवाही के कारण परिहार्य गलतियाँ सूचित की जिसके परिणामस्वरूप बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सात मामलों में कुल 3.32 करोड़ रुपये के कर का अतिप्रभार हुआ। चार मामले जिसमें प्रत्येक में पाँच लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 63 से 66 पर दर्शाया गया है। दो मामले जिसमें प्रत्येक में एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को सोदाहरण नीचे दिया गया है।

4.21.1 बिहार, पटना प्रभार में निर्धारण वर्ष 1994-95 और 1996-97 के लिए एक व्यष्टि डा. कृष्ण मोहन प्रसाद का निर्धारण मार्च 2002 में सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए विवरणी के दाखिल करने में और अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज के प्रति निर्धारिति से देय 67 लाख रुपये के प्रति 1.25 करोड़ रुपये का ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए, अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज का उद्ग्रहण 1.31 करोड़ रुपये के प्रति 2.41 करोड़ रुपये पर किया गया था। दोनों निर्धारण वर्षों के लिए ब्याज का अधिक उद्ग्रहण 1.68 करोड़ रुपये निकाला गया।

4.21.2 मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

4.21.3 महाराष्ट्र मुम्बई सैन्डल रेन्ज III प्रभार में 1 अप्रैल 1995 से 18 अक्टूबर 2001 तक की ब्लॉक अवधि के लिए एक फर्म मैसर्स एफ ए मास्टर एण्ड एसोसिएट्स का ब्लॉक निर्धारण 11.53 करोड़ रुपये पर कुल आय की संगणना करते समय अक्टूबर 2003 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने 7.06 करोड़ रुपये के सही कर के प्रति 8.13 करोड़ रुपये के कर का उद्ग्रहण किया इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप 1.07 करोड़ रुपये के कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ।

4.21.4 मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

शास्ति के उद्ग्रहण में चूक

4. 22 आय कर अधिनियम, 1961 में प्रावधान किया जाता है कि अधिनियम के अध्याय XIV बी के अन्तर्गत किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) निदेश दे सकता है कि एक व्यक्ति एक राशि का भुगतान शास्ति के रूप में करेगा जो उद्ग्राह्य कर की राशि से कम नहीं होगी लेकिन वह ऐसी उद्ग्राह्य की राशि के तीन गुणा से अधिक नहीं होगी।

4.22.1 लेखापरीक्षा ने आन्ध्र प्रदेश और झारखण्ड के दो मामलों में 20.39 लाख रुपये की शास्ति के कम उद्ग्रहण की सूचना दी। एक मामला जिसमें पाँच लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 67 पर दर्शाया गया है।

संक्षिप्त निर्धारणों में गलती

4.23 यद्यपि 1 जून 1999 से आय कर अधिनियम 1961 के संशोधन के परिणामस्वरूप कोई प्रथम दृष्टया समायोजन संक्षिप्त रीति में पूरे किये गये एक निर्धारण में निर्धारण अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता इसलिए संक्षिप्त निर्धारणों में निर्धारिति द्वारा लिये गये अनुचित अभिलाभों को वापिस लिया जा सकता है और गलतियों को आय कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारियों को अलग से दी गई शक्तियों के अन्तर्गत परिशोधित किया जा सकता है।

4.23.1 कम्पनियों के अलावा उनके आय कर निर्धारणों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में संक्षिप्त निर्धारणों के 52 मामलों में गलतियों का पता लगाया जिसमें 21.59 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। 30 मामले जिसमें प्रत्येक में पाँच लाख रुपये से अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 17 में क्रम संख्या 68 से 97 पर दर्शाया गया है। तीन मामले जिसमें प्रत्येक में एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को सोदाहरण नीचे दिया गया है।

4.23.2 उड़ीसा, भुवनेश्वर प्रभार में निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए एक सहकारी समिति द्राइबल डिवलपमेंट को-ओपरेटिव कोरपोरेशन ॲफ उड़ीसा लिमिटेड का निर्धारण नवम्बर 2002 में संक्षिप्त रीति में प्रक्रियागत किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2000-01 और 2001-02 तक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार अग्रेनीत हानि क्रमशः 28.87 करोड़ रुपये और 5.23 करोड़ रुपये थी। धारा 43 बी के अन्तर्गत 4.17 करोड़ रुपये की कटौती अनुमत करने के पश्चात् निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए अग्रेनीत हानि 24.70 करोड़ रुपये निकाली गई। तथापि निर्धारिती ने 24.70 करोड़ रुपये के बजाय 52.68 करोड़ रुपये की अग्रेनीत हानि का दावा किया और अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप 27.98 करोड़ रुपये की हानि का अधिक अग्रेनयन हुआ जिसमें 11.07 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था।

4.23.3 तमिलनाडु, कोयम्बेटूर II प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए व्यक्तियों के संगम मैसर्स एरोड मार्केट कमेटी का निर्धारण लाइसेंस फीस और विपणन फीस के प्रति 3.57 करोड़ रुपये और 3.38 करोड़ रुपये की छूट की अनुमति देने के पश्चात् क्रमशः 1.78 करोड़ रुपये और 2.95 करोड़ रुपये की हानि का अवधारण करते हुए अप्रैल 2004 और दिसम्बर 2004 में संक्षिप्त रीति में प्रक्रियागत किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दावा की गई और अनुमत छूट सही नहीं थी चूंकि यह मात्र स्थानीय प्राधिकारियों को लागू थी। ऐसा करने से चूक के परिणामस्वरूप गलत रूप से अनुमत छूटों की सीमा तक आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 2.33 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था (1.53 करोड़ रुपये के ब्याज और संभावित कर सहित)।

4.23.4 उड़ीसा, कटक प्रभार में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक सहकारी समिति दी बादम्बा को-ओपरेटिव सोसाइटी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का निर्धारण संक्षिप्त नीति में मार्च 2003 में प्रक्रियागत किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विवरण के दाखिल करने की तारीख तक मिआदी कर्ज पर 2.01 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान आई एफ सी आई और 1.90 करोड़ रुपये का एस बी आई को नहीं किया लेकिन इसका व्यय के रूप में दावा किया गया और अनुमत किया गया। गलती के परिणामस्वरूप 3.91 करोड़ रुपये तक हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें 1.40 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था।

4.23.5 छ: मामले जिसमें प्रत्येक में प्रत्येक 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को नीचे तालिका 4.9 में दिखाया गया है:

(लाख रुपये में)

तालिका 4.9 संक्षिप्त निर्धारणों में गलतियाँ

क्र.सं	निर्धारिती का नाम/आ का आ प्रभाव	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार	गलती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव
1	2	3	4	5	6
1	मैसर्स वादिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलोजी सोसाइटी देहरादून	2003-04	संक्षिप्त	अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट शर्त के पूरा न करने पर धारा 10(21) के अन्तर्गत 1.80 करोड़ रुपये की गलत छूट	66.07
2	मैसर्स जेम ग्रेनाइट्स चेन्नई II	2002-03	संक्षिप्त	2.82 करोड़ रुपये की व्याज आय के नब्बे प्रतिशत को निर्यात लाभों के प्रति कटौती की अनुमति करने के प्रयोजन के लिए कारबार लाभ से कम नहीं किया गया था।	58.95
3	मैसर्स बालासोर ग्राम्यवैक कटक	2004-05	संक्षिप्त	4.73 करोड़ रुपये के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के स्वीकार्य प्रावधान के प्रति निर्धारण अधिकारी ने 6.48 करोड़ रुपये के प्रावधान की अनुमति दी।	53.87 (पी)
4	श्रीमती जे. निर्मला देवी कोयम्बटूर	2001-02	संक्षिप्त	1.25 करोड़ रुपये की कटौती की अनुमति नये स्थापित औद्योगिक उपक्रम के प्रति दी गई थी जिसे धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत कटौती की संगणना करते समय कारबार के लाभ से कम नहीं किया गया था।	38.95
5	मैसर्स कालाहाड़ी आंचलिक ग्राम्य वैक सम्बलपुर	2004-05	संक्षिप्त	2.73 लाख रुपये को अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के स्वीकार्य प्रावधान के प्रति निर्धारण अधिकारी ने 1.26 करोड़ रुपये के प्रावधान की अनुमति दी।	37.99(पी)
6	चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड तिरुपति	2000-01 2001-02	संक्षिप्त	कर्मचारी भविष्य निधि (67.82 लाख रुपये) और ई एस आई (47.31 लाख रुपये) की राशि को निर्दिष्ट नियत तारीखों के अन्दर भुगतान/ जमा नहीं किया गया था।	35.17(पी)